



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 258) पटना, बृहस्पतिवार, 31 मार्च 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

31 मार्च 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1391—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा 19(4) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में किसी भी आसवनी, निर्माणशाला, बोटलिंग प्लांट, अनुज्ञापतिधारी या किसी व्यक्ति द्वारा देशी शराब विनिर्माण, बोटलबंदी, वितरण, बिक्री, खरीद, धारिता एवं उपभोग पर पूर्ण रोक लगाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

के0 के0 पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

31 मार्च 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1391—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

के0 के0 पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 31st March 2016

No. 11/Nai Utpad Niti-01-03/2016-1391—In exercise of the powers conferred under Section 19(4) of the Bihar Excise Act 1915 (as amended by Bihar Excise (Amendment) Act 2016), the State Government hereby imposes absolute ban on the manufacture, bottling, distribution, sale, purchase, possession and consumption of Country liquor by any manufactory, Bottling Plant, license holder or any person in the whole of the State of Bihar with effect from 01 April, 2016.

By Order of the Governor of Bihar,

K. K. Pathak,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 258-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>